न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री बी0एल0मेहरड़ा, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—474/2015/223 (2015/00238)

1. रामनारायण पुत्र सुखदेव, जाति माली, (फौत) जरिये वारिसानः—
   1/1— श्रीमती कानी पत्नि रामनारायण,
   1/2— श्योजीराम पुत्र रामनारायण,
   1/3— काशीराम पुत्र रामनारायण,
   1/4— हेमराज पुत्र रामनारायण
   1/5— रूकमा,
   1/6— राधा,
   1/7— यशोदा,
   1/8— रामप्यारी,
   1/9— नैना,
   पुत्रियां रामनारायण,
   समस्त जाति माली, निवासी सूरजपोल गेट, केकड़ी, जिला अजमेर ।
2. भंवरलाल पुत्र नंदाराम, जाति माली,
3. गापेाल पु नंदाराम, जाति माली,
4. बद्री पुत्र रामकरण, जाति माली,
   समस्त निवासी सूरजपोल गेट, केकड़ी, तह0 केकड़ी, जिला अजमेर ।

अपीलांटस

बनाम

1. औंकार पुत्र नंदा, जाति माली, निवासी सूरजपोल गेट, केकड़ी, तहसील केकड़ी, जिला अजमेर ।
2. गोरी पत्नी रामकरण, जाति माली (मृतक) जरिये वारिसानः—
   2/1— बद्रीलाल पुत्र गोरादेवी, जाति माली, नि0 सूरजपोल गेट, केकड़ी, जिला अजमेर ।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, केकड़ी, जिला अजमेर ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध विरूद्ध निर्णय व डिक्री विद्वान उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी, दिनांक 21.4.2015 अंतर्गत वाद संख्या 3/2014.

उपस्थितः—

1. श्री राकेश अरोड़ा, वकील अपीलांटस ।
2. श्री हेमराज गुप्ता, वकील रेस्पो0 संख्या 1.
3. श्री नीरज जैन, वकील रेस्पो0 संख्या 2/1.
4. श्री धर्मवीर चौधरी, पैरोकार सरकार वकील रेस्पो0 संख्या 3.

निर्णय

दिनांकः—20.4.2019

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी के निर्णय व डिक्री दिनांक 21.4.2015 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी/रेस्पो0 संख्या 1 ने अधी0न्याया0 में वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि कस्बा केकड़ी,

तहसील केकड़ी में वादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 7215 रकबा 0.94 है0, 7226 रकबा 0.13 है0, खसरा नंबर 7227 रकबा 2.45 हे0, खसरा नंबर 7228 रकबा 0.11 है0 कुल किता 4 भूमि स्थित है । उपरोक्त आराजियात वादी एवं प्रतिवादीगण की पुश्तैनी खातेदारी की आराजियात है जिसमें वादी का 1/3 हिस्सा है । उपरोक्त आराजियात का बंटवारा वादी एवं प्रवितादीगण के मध्य पूर्व में ही हो चुका है एवं उक्त संपूर्ण आराजियात का 1/3 हिस्सा प्रतिवादीगण/अपीलांटस ने वादी के हक में रखा है । उक्त आराजियात के बदले अन्य संयुक्त कब्जे काश्त की आराजियात को वादी/रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा अपीलांटस के हक में रखी गई है । उक्त मौखिक बंटवारे के आधार पर वादी/प्रतिवादीगण अपने–अपने हिस्से की आराजियात पर काबिज काश्त चले आ रहे है किन्तु प्रतिवादीगण/अपीलांटस द्वज्ञरा उक्त आराजियात को अन्यंत्र बेचान किया जा रहा है । अतः मौखिक बंटवारे के अनुसार वादवर्णित आराजियात संपूर्ण 1/3 हिस्से का खातेदार वादी/रेस्पो0 को घोषित किया जावे एवं स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री पारित की जावे । विद्वान अधी0न्याया0 ने निर्णय व डिक्री दिनांक 21.4.2015 को आक्षेपित निर्णय पारित कर वादी/रेस्पो0 संख्या 1 का वाद डिक्री करने के आदेश पारित किये । अधी0न्याया0 के इस आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलांटस ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को तलब किया गया । रेस्पो0 के उपस्थित होने तथा अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस में अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि अधी0न्याया0 द्वारा अपीलांटस को जारी नोटिस की तामील किसी भी रूप में अपीलांटस को विधिवत् नहीं करायी गई है । केवल मात्र तामील कुनिन्दा द्वारा अधी0न्याया0 के आदेश के बिना ही अपीलांटस द्वारा नोटिस लेने से इंकार कर मकान पर चस्पा किये जाने बाबत् अंकन करने को संपूर्ण तामील मानते हुए आक्षेप्ति निर्णय व डिक्री एकपक्षीय पारित की है जबकि अपीलांटस द्वारा कभी भी तामील हेतु इंकार नहीं किया गया न ही तामील हेतु कोई नोटिस अपीलांटस को प्रदान किये गये है । बहस में आगे कथन किया कि अधी0न्याया0 ने पत्रावली को नियत पेशी से पूर्व रखकर निर्णय पारित किया है । अपीलांटस को जारी नोटिस पर अपीलांटस के घर का पता भी अंकित नहीं किया गया है । तामील कुनिन्दा ने नोटिस पर दिनांक, समय का अंकन नहीं किया तथा दो स्वतंत्र गवाहों के के हस्ताक्षर, नाम पता इत्यादि का भी अंकन नहीं किया है जिससे तामील कुनिन्दा की रिपोर्ट फर्जी प्रमाणित होती है । बहस में आगे कथन किया कि रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा अधी0न्याया0 के समक्ष वाद मौखिक बंटवारे के आधार पर खातेदारी घोषणा का पेश किया गया था जिसमें बिना समस्त सहखातेदारान को पक्षकार बनाये वाद डिक्री किया है जो विधिविरूद्ध है। रेस्पो0 संख्या 1 ने वादपत्र में मौखिक विभाजन अनुसार अन्य खसरा नंबरान अपीलांटस के पक्ष में छोड़ना अंकित किया है किन्तु कौन से खसरा नंबर छोड़े है इसका अंकन नहीं किया है । अधी0न्याया0 ने अपीलांटस को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना एकतरफा में निर्णय व डिक्री पारित की है जिसे विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है । अतः अपील अपीलांटस स्वीकार की जाकर प्रकरण अधी0न्याया0 को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जावे कि अपीलांटस को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर प्रकरण को गुणावगुण पर निर्णित करे ।

5. विद्वान वकील अपीलांट ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 पेश कर निवेदन किया कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 21.

4.2015 के अनुसरण में अप्रार्थी द्वारा प्रार्थीगण को मौके से बेदखल किये जाने की धमकी दिये जाने एवं जबरन कब्जा किये जाने की कोशिश करने पर एवं पटवारी हल्का द्वारा उक्त निर्णय की अनुपालना में नाप चोप किये जाने पर अपीलांटस को उक्त निर्णय व डिक्री की जानकारी हुई जिस पर अपीलांट ने दिनांक 19.11.2015 को अधी0न्याया0 के समक्ष प्रतलिपि हेतु आवेदन किया तथा प्रमाणित प्रति प्राप्त होने के उपरांत जानकारी से अंदर मियाद यह अपील पेश की है । अपील में हुआ विलंब उचित एवं सद्भाविक है । अतः विलंब क्षम्य किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जावे ।

6. जवाब बहस में विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 1 ने बहस में कथन किया कि अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री विधिसम्मत् है । विवादित आराजियात में अपीलांट एवं रेस्पो0 का 1/3 हिस्सा संयुक्त रूप से निहित था । विवादित आराजियात का अपीलांट एवं रेस्पो0 के मध्य पूर्व में ही मौखिक बंटवाडा हो चुका है जिसके तहत 1/3 संपूर्ण हिस्सा रेस्पो0 संख्या 1 के हक में रखा गया तथा इस 1/3 हिस्से के एवज में रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा अन्य आराजियात अपीलांटस के पक्ष में रखी गई थी तब से रेस्पो0 संख्या 1 विवादित आराजियात पर मौखिक बंटवारा के अनुसार काबिज काश्त चले आ रहे है । अपीलांटस एवं रेस्पो0 एक ही परिवार के सदस्य होने के कारण इंद्राज नहीं करवाया गया । विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 1 ने बहस में आगे कथन किया कि अपीलांटस द्वारा नोटिस लेने से इंकार किये जाने पर तामील कुनिन्दा ने नोटिस मकान पर चस्पा किये है जो विधिवत् तामील है । अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री विधिसम्मत् है जिसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है । अतः अपील अपीलांटस निरस्त की जावे । विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 1 ने अपने कथनों के समर्थन में आर0आर0टी0 2016–17 पेज 714 का न्यायिक दृष्टांत उद्धरित किया ।

7. हमनें उभयपक्ष बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । हम सर्वप्रथम अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 निर्णित करनो उचित समझते है । अपीलांट ने प्रार्थना पत्र में विलंब के जो कारण अंकित किये है वे उचित एवं सद्भाविक प्रतीत होते है । अतः न्यायहित में अपील में हुआ विलंब माफ किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है ।

8. प्रकरण के गुणावगुण पर पत्रावली का अवलोकन किया गया । अधी0न्याया0 की पत्रावली में अपीलांटस/प्रतिवादीगण को जारी नोटिस की पुस्त पर तामील कुनिन्दा की रिपोर्ट का अवलोकन किया गया । तामील कुनिन्दा ने अपनी रिपोर्ट में अंकित किया है कि प्रार्थी ने नोटिस लेने से इंकार किया अतः एक परत मकान पर चस्पा की । तामील कुनिन्दा ने उक्त नोटिस किस दिनांक को अपीलांटस को तामील कराने का प्रयास किया एवं किस दिनांक को नोटिस लेने से इंकार किया इस संबंध में अपनी रिपोर्ट में दिनांक का अंकन नहीं किया है । इसके अतिरिक्त नोटिस पर दो व्यक्तियों के हस्ताक्षकर अवश्य करा रखे है किन्तु उक्त व्यक्ति कौन है तथा इनकी वल्दियत क्या है इसका अंकन रिपोर्ट में नहीं किया गया है । इसके बावजूद अधी0न्याया0 ने तामील कुनिन्दा की उक्त रिपोर्ट को विधिवत् मानकर अपीलांटस/प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकतरफा में कार्यवाही कर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की है जिसे विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है । अधी0न्याया0 द्वारा चस्पानगी से तामील कराये जाने के आदेश कब पारित किये गये इस संबंध में भी पत्रावली पर कोई दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध नहीं है । उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अधी0न्याया0 ने अपीलांटस को विधिवत् नोटिस तामील कराये बिना अपीलांटस के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही कर अपीलांटस को जवाब एवं दस्तावेजी साक्ष्यों को अवसर प्रदान किये बिना

अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की है जिसे विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है । उपरोक्त विवेचन के क्रम में अपील अपीलांटस आंशिक रूप से स्वीकार योग्य तथा अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री खारिज योग्य होकर प्रकरण अधी0न्याया0 को प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य पाया जाता है।

9. अतः अपील अपीलांटस आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा विद्वान उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 21.4.2015 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधी0न्याया0 को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे विवादित भूमि के समस्त सहखातेदारान को वाद में पक्षकार नियुक्त कर उभयपक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर वाद को गुणावगुण पर निर्णित करे । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

10. निर्णय आज दिनांक 20.4.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर